न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

.....

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3203–II/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–08–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 668/अ–21/2013–14.

.....

रहमान सा परतेती
निवासी वार्ड नं. 7 तहसील परासिया,
जिला छिंदवाड़ा ——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ——— अनावेदक

.....

श्री एल.बी.एस. बघेल, अभिभाषक आवेदक ।

.....

आदेश

(आज दिनांक 10 जुलाई, 2015 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 668/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13–8–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा कलेक्टर, छिंदवाड़ा के न्यायालय में संहिता की धारा 165 (6) के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने भूमिस्वामित्व की ग्राम मौजा डोंगर परासिया बंदोवस्त नं. 227 पटवारी हल्का नं. 14 राजस्व निरीक्षक मंडल परासिया, तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 21 रकबा 0.907 हैक्टर, खसरा नं. 22 रकबा 0.272 हैक्टर खसरा नं. 24 रकबा 0.393 हैक्टर,

खसरा नं. 25 रकबा 2.354 हैक्टर, खसरा नं. 30/1 रकबा 3.839 हैक्टर खसरा नं. 30/4 रकबा 2.529 हैक्टर खसरा नं. 707/1 रकबा 0.445 हैक्टर, खसरा नं. 708/1 रकबा 0.182 हैक्टर, खसरा नं. 165/2 रकबा 0. 411 हैक्टर के विकय हेतु अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से जांच प्रतिवेदन बुलवाया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में आवश्यक जांच कर प्रतिवेदन कलेक्टर को भूमि विकय की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा के साथ प्रेषित किया किंतु कलेक्टर ने आदेश दिनांक 11–2–14 द्वारा आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से प्रकरण में सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि विकय की अनुमति से संबंधित है । कलेक्टर द्वारा इस आधार पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचना कमांक 5–3–76–384–सात–न 1, दिनांक 21.2.1977 म0प्र0 राजपत्र दिनांक 11 मार्च, 1977 विनिर्दिष्ट दिनांक 26 जनवरी, 1977 नियत की गई है । अन्तरण पर रोक – विनिर्दिष्ट दिनांक 26 जनवरी, 1977 के पश्चात आदिम जनजाति के विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भूमिस्वामी अधिकारों के गैर आदिम जनजाति के व्यक्ति हित में अंतरण पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और कलेक्टर अब ऐसे क्षेत्र के अंतरण की पूर्व अनुमति देने के लिए सक्षम नहीं

रहेगा । कलेक्टर के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा जो आधार आवेदन निरस्त करने का लिया गया वह सही नहीं है क्योंकि आवेदित भूमि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नहीं है तथा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है जैसाकि अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है । आदेश पारित करने के पूर्व कलेक्टर द्वरा म0प्र0 राजपत्र दिनांक 20 अप्रेल 1981 में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एफ–16–1–81–2 पच्चीस दिनांक 15 अप्रेल, 1981 को अनदेखा किया गया है, इस अधिसूचना द्वारा संहिता की धारा 165 (6) के पश्चात उपधारा 6–क, 6–ख, 6–ग, 6–घ, 6–ड़ तथा 6–च अंतःस्थापित की गई है । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय का ध्यान भारत के असाधारण राजपत्र भाग–II–ख–3 (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि. 797 (अ) दिनांक 31.12.1977 की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें म0प्र0 राज्य के संबंध में कंडिका 21 में छिंदवाड़ा जिले के आदिम जनजाति हेतु अनुसूचित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है । आवेदक की भूमि उक्त अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आती है । जबकि कलेक्टर द्वारा पूरे छिंदवाड़ा जिले को ही अनुसूचित क्षेत्र मान लिया है । अतः इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन निरस्त करने का जो आधार लिया गया है वह त्रुटिपूर्ण है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को विकय कर, विकय की जा रही भूमि के बराबर/उससे अधिक सिंचित भूमि अन्यत्र कय किए जाने का आवेदन दिया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदक के द्वारा किया जा रहा उपरोक्त अंतरण मिथ्या या बनावटी प्रतीत नहीं होता है । यह सारे तथ्य अनुविभागीय अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदनों तथा साक्षियों के कथनों में स्पष्ट उल्लिखित किए गए हैं । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । परिणामतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक

13–8–14 तथा कलेक्टर, छिंदवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–2–14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाते हैं तथा यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की ग्राम मौजा डोंगर परासिया बंदोवस्त नं. 227 पटवारी हल्का नं. 14 राजस्व निरीक्षक मंडल परासिया, तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 21 रकबा 0.907 हैक्टर, खसरा नं. 22 रकबा 0.272 हैक्टर खसरा नं. 24 रकबा 0.393 हैक्टर, खसरा नं. 25 रकबा 2.354 हैक्टर, खसरा नं. 30/1 रकबा 3.839 हैक्टर खसरा नं. 30/4 रकबा 2.529 हैक्टर खसरा नं. 707/1 रकबा 0.445 हैक्टर, खसरा नं. 708/1 रकबा 0.182 हैक्टर, खसरा नं. 165/2 रकबा 0.411 स्थित प्रश्नाधीन भूमि के विकय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :–

1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015–16 की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2– भूमि के कय–विकय का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर